




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

भोचिराम मंहो वगैरह

बनाम

कलावती देवी वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....112/2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी सुभायल के अप्राथमिकी सं०-29/17 दिनांक-12/7/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि यमि विवाह को लोक उभय पक्ष में तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 21/08/17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p style="text-align: center;">अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष तनाव दाखिल करें। दिनांक 04-09-17 को श्रवण।</p> <div style="text-align: center;">  21/8/17 </div>	

21-08-17

16-3-18

पीठासीन पदाधिकारी नगा पेचापत्र युनाव कर्म
में गपक। दिनांक 02-04-18 से शुरू।

02-04-18

पीठासीन पदाधिकारी नगा पेचापत्र युनाव कर्म
में गपक। दिनांक 23-04-18 से शुरू।

23-04-18

आमिलेख उपस्थापित। इमथ पन
अनुपलित। इकर वाद में 6 (छः) माह
की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद
कालबाधित हो गया है। अतः वाद में
आमिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।

4
23/4/18